फर्द अहकाम

भगवानसहाय बनाम रामनाथ व अन्य

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर
05/2022

आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
02/25	अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया था। जबकि उक्त दिवस दिनांक 23.06.16 हेतु प्रकरण को नियत किए जाने बाबत प्रार्थी को कोई विधिवत सूचना नहीं दी गई थी, ना ही प्रार्थी की ओर से प्रकरण को लोक अदालत के जरिये अंतिम निस्तारण बाबत कोई सहमति व्यक्त की गई थी। जबकि पक्षकारान की सहमति के अभाव में प्रकरण का लोक अदालत के आधार पर। अन्तर्गत निस्तारित नहीं किया जा सकता है। जिससे प्रार्थी को प्रकरण के लोक अदालत हेतु नियत किए जाने की कोई जानकारी नहीं थी। जिससे प्रार्थी उक्त दिवस को लोक अदालत में उपस्थित नहीं हो सका था तथा उक्तानुसार प्रकरण लोक अदालत के अन्तर्गत अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया। जबकि लोक अदालत के अन्तर्गत राजीनामा के आधार पर निस्तारित किए जाने के अतिरिक्त अन्य आधार पर तथा अदम हाजरी अदम पैरवी में निस्तारित/खारिज नहीं किया जा सकता है। जिससे समुचित जानकारी के अभाव में प्रार्थी उक्त लोक अदालत में उपस्थित नहीं हो सका था जो कि जानकारी के अभाव के आधार पर एक सद्भावी भूल है तथा प्रार्थी ~~[illegible]~~ जानबूझकर अथवा लापरवाही वश अथवा प्रकरण के प्रति उदासीनता के आधार पर उक्त दिवस को अनुपस्थित नहीं रहा है अपितु परिस्थितिवश, जानकारी के अभाव में अनुपस्थित रहा है जो कि परिस्थितियों के दृष्टिगत क्षम्य भूल है। किन्तु उपरान्त परिस्थिति वश अपने अधिवक्ता से सम्पर्क नहीं हो पाने से भी प्रार्थी को [illegible] की [illegible] जानकारी नहीं हो सकी थी। [illegible] मैं हाल में दिनांक [illegible] अधिवक्ता से सम्पर्क होने पर [illegible] प्रार्थी [illegible] प्रकरण के पूर्व में ही अदम पैरवी अदम हाजरी में खारिज	

P.T.O.

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Laxmi Narayan Bunker
Date: 2025.02.20 14:16:52 IST
Reason: SelfAttested

फर्द अहकाम

भगवानसहाय बनाम रामनाथ व अन्य

नाम न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

केस संख्या 05/2022 (प्रा.पत्र बाजयाफ्ती)

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से
	03/02/25	हो जाने की जानकारी हुई है। जिससे अविलम्ब प्रार्थनापत्र बाजयाफ्ती प्रस्तुत किया गया है जो परिस्थितियों के दृष्टिगत स्वीकार फरमाया जावे। हमने प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी, तथ्यों पर मनन किया व प्रस्तुत दस्तावेजात का गहनतापूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन व तथ्यों के समग्र विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि मूलवाद विधिवत प्रक्रिया के अन्तर्गत विचारण की सम्पूर्ण अवस्था पूर्ण की जाकर वास्ते बहस अंतिम वादी के नियत रहते हुए वादी की ओर से बहस प्रस्तुत नहीं किए जाने के क्रम में परिस्थितिवश पक्षकारान को पुनः प्रत्यक्ष सुनवाई के दृष्टिगत विधिवत प्रक्रिया के अन्तर्गत पक्षकारान को सूचित किया जाकर तथा उक्त क्रम में स्वयं प्रतिवादीगण की सुनवाई की जाकर तथा प्रार्थी वादी के अनुपस्थित रहने पर नियमानुसार अदम हाजरी अदम पैरवी में वाद खारिज किया गया है। जिसमें कोई त्रुटि प्रदर्शित नहीं होती है तथा उक्त क्रम में प्रार्थी द्वारा 06 वर्ष उपरान्त प्रार्थनापत्र बाजयाफ्ती प्रस्तुत किया गया है। जो प्रार्थी वादी की प्रकरण के प्रति उपेक्षा को प्रदर्शित करता है, परन्तु फिर भी चूंकि प्रार्थी वादी द्वारा प्रकरण को पुनः नम्बर पर लिए जाने का निवेदन किया गया है। अतः न्यायहित न्याय के दृष्टिगत 2000/- कॉस्ट पर प्रार्थनापत्र बाजयाफ्ती इस निर्देश के अधीन स्वीकार किया जाता है कि प्रार्थी उक्त राशि राजकोष में जमा कराते हुए जमा रसीद न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करें। आदेशित राशि राजकोष में जमा रसीद प्रस्तुत होनेपर मूलवाद को पुनः नम्बर

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

फर्द अहकाम

भगवानसहाय बनाम रामनाथ व अन्य

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

05/2022 (प्रा.पत्र बाजयाफ्ती)

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
03/02/25	पर लिए जाने के आदेश दिए जाते हैं। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। सही/- सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर	

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Laxmi Narayan Bunker
Date: 2025.02.20 14:16:52 IST
Reason: SelfAttested